इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 362] भोपाल, सोमवार, दिनांक 13 अगस्त 2012—श्रावण 22, शक 1934

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 13 अगस्त 2012

क्र. एफ. बी-1-49-2011-2-पांच-(32).—मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 62 की उपधारा (3) के परन्तुक के साथ पठित उपधारा (1) तथा उपधारा (2) के खण्ड (च) और (ज) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, अधिसूचना क्रमांक एफ-बी-1-49-2011-2-पांच (6), भोपाल दिनांक 26 फरवरी, 2012 को अतिष्ठित करते हुए, मध्यप्रदेश देशी स्पिरिट नियम, 1995 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 9 में, उपनियम (4) के पश्चात् निम्नलिखित नया उपनियम अन्त: स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(5) सी. एस. 1 तथा सी.एस. 1-ख अनुज्ञप्तिधारी, अनुज्ञप्त परिसर पर राज्य आबकारी विभाग के कम्प्यूटराइजेशन के लिये अपेक्षित लीज्ड लाइन या वायरलैस कनैक्टिविटी एवं अन्य सम्बद्ध सुविधा उपलब्ध कराएगा. वह भारसाधक अधिकारी के कार्यालय के कम्प्यूटर कक्ष में बाधा रहित विद्युत् प्रदाय की सुविधा भी उपलब्ध कराएगा. ऐसी सुविधा पर होने वाला व्यय अनुज्ञप्तिधारी द्वारा वहन किया जाएगा.".

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एन. के. जैन, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 13 अगस्त 2012

क्र. बी-1-49-2011-2-पांच-(32).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक बी-1-49-2011-2-पांच-(32), दिनांक 13 अगस्त 2012 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एन. के. जैन, उपसचिव.

Bhopal, the 13th August 2012

No. F-B-1-49-2011-2-V (32).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (f) and (h) of sub-section (2) read with proviso to sub-section (3) of Section 62 of the Madhya Pradesh Excise Act, 1915 (No. II of 1915), the State Government, hereby, in supersession of notification No. F-B-1-49-2011-2-V(6), Bhopal, dated 26th February, 2012 makes the following further amendments in the Madhya Pradesh Country Spirit Rules, 1995, namely:—

AMENDMENT

In the said rules, in Rule 9, after sub-rule (4), the following new sub-rule shall be inserted, namely:—

"(5) The C.S. I and C.S. I-B licensee shall provide required facility for leased line or wireless connectivity and other related facility for computerization of State Excise Department at the licensed premises. He shall also provide facility for uninterrupted power supply to computer section of the office of officer in charge. The expenses on such facilities shall be borne by the licensee.".

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
N. K. JAIN, Dy. Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.